संचिका संख्या : 775/19

दिनांक : .24.06.2022

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन उनके पुत्र के अभियुक्तगण के द्वारा अपहरण किये जाने के संबंध में पानापुर थाना कांड संख्या–110/2017 दर्ज किये जाने के बात कहते हुए अपहृताओं के द्वारा धमकी दिये जाने और उनके गिरफ्तारी नहीं किये जाने के आरोप के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन तथा आवेदक से प्राप्त प्रत्युत्तर के अवलोकन उपरांत इस संचिका को निबंधक राज्य आयोग के समझ कांड दैनिकी तथा अन्य कागजातों के विश्लेषण कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु भेजा गया था। निदेशक राज्य आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त है (पृष्ठ82 से 84/प0) ।

निबंधक राज्य आयोग के द्वारा आवेदक के आरोप के संबंध में आरक्षी अधीक्षक सारण के प्रतिवेदन परिवादी के प्रत्युत्तर एवम् आरक्षी अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के प्रतिवेदन और केस डायरी के अवलोकन कर अपना प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक–56, दिनांक–17.01.2022 को निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को दिये गये प्रतिवेदन एवं काण्ड दैनिकी (पेज नं0–52 से 81) का अवलोकन किया। केस डायरी के पैरा नं0–8 में श्री चन्द्रिका सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अंगद कुमार कहीं बाहर रहकर प्राईवेट नौकरी करता है और अपहरण की कोई घटना नहीं हुई है और भूमि विवाद का लेकर यह केस दर्ज किया गया है। पैरा नं0– 09 में साक्षी सुदामा सिंह ने भी कहा है कि अपहरण की कोई घटना नहीं घटी है और वह बाहर रहकर प्राईवेट नौकरी करता है और भूमि विवाद को लेकर यह झूठा केस दर्ज किया गया है। पैरा नं0– 18 में भी कहा गया है कि ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया है कि उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद चल रहा था, जिसे लेकर अंगद कुमार का अपहरण का केस न्यायालय में किया गया। इस प्रकार का कोई घटना नहीं घटी है अंगद कुमार कहीं बाहर रहकर काम करता है। किसी भी साक्षी ने घटना की पुष्टि नहीं की है। पैरा नं0–23 में भी यह कहा गया है कि अपहरण की घटना का आरोप सरासर गलत है और राजकुमार सिंह कुशवाहा द्वारा लोगों को फसाए जाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। पैरा नं0 –46 अंगद कुमार ने कहा है कि मुझे घर में 03 दिन तक रख गया और फिर किसी होटल में भेज दिया गया। कौन होटल था तथा कौन मालिक था यह मैं नहीं बता सकता हूं। उसके बाद मैं होटल से भाग गया और दिनांक –08.06.2021

को पानापुर थाना आया और घटना के बारे में पुलिस को बताया। पैरा नं0—54 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि घटना को असत्य मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किया गया है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध गलत केस करने को लेकर वादी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा—182/211 के अंतर्गत अभियोजन चलाने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

साथ ही अपने निष्कर्ष में निम्नलिखित बातें कही है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी राजकुमार सिंह कुशवाहा द्वारा दिनांक—13.02.2017 को अपने बेटे के अपहरण की बात कही गई है और दिनांक — 08.06. 2021 को तथाकथित अपहृत अंगद कुमार पानापुर थाना में उपस्थित हुआ है । यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंगद सिंह द्वारा कहा गया है कि किस स्थान पर, किस होटल में बेचा गया, मुझे नहीं पता। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दिनांक— 13.02.2017 को उनके अपहरण की बात कही गई है और दिनांक—08.06.2021 को ये स्वयं थाने में उपस्थित हुए है। लगभग 4 वर्ष 4 माह के पश्चात् ये खुद थाने में उपस्थित हुए हैं। ये 4 वर्ष 4 माह किस होटल में काम कर रहे थे और 4 वर्ष के बाद ये होटल से स्वयं भागकर वापस आये हैं, जिससे इनके कथन एवं घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के पश्चात् पुलिस पदाधिकारी द्वारा अंगद कुमार के अपहरण की घटना को असत्य मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा वादी राजकुमार सिंह कुशवाहा के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा—182/211 के अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। ऐसी परिस्थिति में जबकि इस वाद में अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किया जा चुका है तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अपहृत अंगत कुमार स्वयं दिनांक—08.06.2021 को पानापुर थाना में उपस्थित हुए थे और पुलिस द्वारा इन्हें पानापुर थाना कांड संख्या—27/2017 में पूर्व के अभियुक्त रहने के कारण गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस प्रकार तथाकथित अपहृत अंगद कुमार भी उपस्थित हो चुके हैं।

निबंधक के द्वारा समर्पित किये गये प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि पानापुर थाना कांड संख्या 109/2017 में अपहरण के घटना को सत्य मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है। एवं वादी के विरुद्ध धारा—182/211 के अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही अपहृत अंगद कुमार भी थाना में उपस्थित हुए है जो पूर्व में पानापुर थाना

27/17 अभियुक्त के गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मं भेज दिया गया। अतः आवेदक अगर अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है तो इस संबंध में वे न्यायालय में अपना पक्ष रखने को स्वतंत्र है। अतः इस आवेदन पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson